



2026:AHC:32607

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 2220/2026

सुरेश चंद्र

..... याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

भारत संघ एवं 3 अन्य

..... प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: अभिषेक सिंह, कमला सिंह

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: ए.एस.जी.आई., अशोक सिंह

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार।

1. रिट याचिकाकर्ता की विद्वान अधिवक्ता सुश्री कमला सिंह और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री अशोक सिंह को सुना गया।
2. शुरुआत में ही, प्रत्यर्थियों की ओर से पेश हुए श्री अशोक सिंह ने एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई है कि इस मामले पर इस न्यायालय का क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार नहीं हो सकता, विशेष रूप से तब, जब इसमें प्रत्यर्थी संख्या 4 के विरुद्ध क्वो वारंटो रिट की मांग की गई है— जो कि अरुणाचल प्रदेश में तैनात हैं—और अन्य सरकारी प्रत्यर्थी नई दिल्ली में स्थित हैं।
3. इस प्रस्तुति के जवाब में, रिट याचिकाकर्ता की विद्वान अधिवक्ता सुश्री कमला सिंह ने यह तर्क किया है कि रिट याचिकाकर्ता कानपुर देहात का निवासी है, जबकि चौथे प्रत्यर्थी—जिसके विरुद्ध क्वो वारंटो रिट की मांग की गई है—वह भी कानपुर देहात का ही निवासी है। अतः, इस मामले पर इस न्यायालय का क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार होगा।
4. मैंने दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत दलीलें सुनी हैं और अभिलेख का अवलोकन किया है।
5. ज़ाहिर है, चौथे प्रत्यर्थी की पोस्टिंग अरुणाचल प्रदेश में है, और जहाँ तक सरकारी प्रत्यर्थियों का सवाल है, वे नई दिल्ली में हैं; वहीं रिट याचिकाकर्ता कानपुर देहात का निवासी है और उसका जन्म स्थान भी कानपुर देहात ही है। अतः, इस मामले पर इस न्यायालय का कोई क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार नहीं है।
6. तदनुसार, इस न्यायालय द्वारा राजेंद्र कुमार मिश्रा बनाम भारत संघ (2005) 1 यूपीएलबीईसी 108 मामले में निर्धारित विधि को ध्यान में रखते हुए, इसमें हस्तक्षेप करने से इनकार किया जाता है। रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है, और रिट याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता दी जाती है कि वह इस मामले पर क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है।

(माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार।)

13 फरवरी, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"